भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय त्विरत कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस), आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7<sup>वी</sup> मंज़िल, प्लाट P-6,7,8, से.-5, आई.एम्.टी. मानेसर, गुडगाँव, हरियाणा - 122050. Email: roc.cpace@mca.gov.in



Government of India Ministry of Corporate Affairs Centre for Processing Accelerated Corporate Exit (C-PACE) IICA Building, 7<sup>th</sup> Floor, Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana - 122050. Email: roc.cpace@mca.gov.in

## प्रारूप संख्या एसटीके-6 सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/755

## **दिनांक:** -13/08/2024

## संदर्भ:

1.कम्पनी अधीनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (8) कम्पनियों का नाम कैरल राज्य से हटाने के मामले में:

| S No. | Work Item | CIN                   | Company Name                                 |
|-------|-----------|-----------------------|--|
| 1     | AA9506986 | U41001KL2023PTC085157 | एस्पॉयर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड         |
| 2     | AA9462080 | U73100KL2020PTC065426 | रेनुलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड                 |
| 3     | AA9436531 | U65990KL2019PLC059075 | जनकैया निधि लिमिटेड                          |
| 4     | AA9536617 | U74999KL2018PTC054930 | आरआरवीपी इंटरनेशनल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 5     | AA9249598 | U80902KL2018PTC052810 | प्राइज़ाइट अकादमी प्राइवेट लिमिटेड           |
| 6     | AA9490793 | U55101KL2018PTC052376 | रॉन एंड लिन प्राइवेट लिमिटेड                 |
| 7     | AA9315855 | U65999KL2018PLC052560 | देवदेवन निधि लिमिटेड                         |
| 8     | AA9186905 | U65992KL2014PTC037033 | रोवल चिट्स प्राइवेट लिमिटेड                  |

- 2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अिधनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रिजस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रिजस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अविध के भीतर कम्पनी अिधनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रिजस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।
- 3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है
- 4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपित्त है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपित्त भेज सकते हैं।

हरिहर साहू रजिस्ट्रार प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र